संख्या– 1766 सोलह–प्रा0शि0–3–2013– 15(58)/2009

989
16/8/13

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 08 अगस्त,2013

विषयः– निजी क्षेत्र में स्थापित पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2225/16–प्रा0शि0–3–2012, दिनांक 18/10/2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4 की स्तम्भ–1 में उल्लिखित व्यवस्था को संशोधित करते हुये स्तम्भ–2 में उल्लिखित व्यवस्था को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्राविधान तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
'तीसरी वरीयता ऐसे छात्रों को दी जाये जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की परीक्षा में न तो रैंक ही प्राप्त कर सके हो, और न ही सम्मिलित हुए हो, उन्होने हाई –स्कूल की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 45 प्रतिशत) उत्तीर्ण की हो।'	"तीसरी वरियता ऐसे छात्रों जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में न तो रैंक प्राप्त कर सके हों और न ही सम्मिलित हुए हों तथा ए0आईसी0टी0ई0 के मानक के अनुसार न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हो, को दी जाये, जिसके लिये आवेदक छात्रों को उनके हाईस्कूल में साइंस एवं गणित के प्राप्तांकों के अवरोही क्रम में सूची तैयार कर उसी क्रम में उन्हें प्रवेश दे दिया जाए। आवेदकों की ऐसी तैयार की गयी सूची तथा प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची संस्था की वेबसाइट पर रखी जाए तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद को अवगत कराया जाए।"

2– उक्त शासनादेश दिनांक 18/10/2012 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए शासनादेश की शेष शर्ते एवं व्यवस्था यथावत रहेगी।

भवदीय,

(राजेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

sks2012